

भाग-II  
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या—FP/UP/Pipeline/143184/2021

<b>7— परियोजना/स्कीम का स्थान</b>	<p>जनपद—हरदोई के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घन्टाघर मार्ग, लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी0(चैनेज-0.0 से 2.5 किमी0 एवं 2.0 किमी (कुल 4.50 किमी0) की दूरी में दांयी पटरी पर प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित संरक्षित भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।</p> <p>उत्तर प्रदेश।</p> <p>हरदोई।</p> <p>सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई 0.2475 है।</p> <p>संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) स्वामित्व लो0नि0वि0 0.3 औसत बाधक वृक्षों की संख्या—शून्य।</p> <p>भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।</p> <p>शून्य</p> <p>नहीं।</p> <p>नहीं।</p> <p>नहीं।</p> <p>हाँ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है।</p> <p>नहीं।</p>
<b>8—प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—1 कालम—2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।</b>	<p>नहीं।</p>
<b>9—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।</b>	<p>नहीं।</p>

**10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा—**

(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी/भू खण्ड का आकर।

(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

(III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कायान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)

**11—जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)**

**12—विभाग/जिला प्रोफाइल**

(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

(II) जिले का वन क्षेत्र

(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

(IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

**13—प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।**

तिथि:

स्थान—हरदोई

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रोक—FC-11/165/2019-FC दिनांक—27-07-2020 द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में लागू नहीं है।

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-27 पर संलग्न है।

5989 वर्ग कि0मी0

119.62 वर्ग कि0मी0

स्वीकृत मामलों की संख्या—46 क्षेत्रफल—35.0342 हे0


10 हे0

शून्य

388.047 हे0


3283.544 हे0।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है।

  
(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक,

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,

हरदोई। 

**प्रभागीय निदेशक**

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई